

अति आवश्यक / आज ही

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 27.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान

विषय:- जिला अस्पतालों/सैटेलाईट होस्पिटल में चिकित्सक लगाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों में से जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालयों हेतु एक ही स्थान पर 4 से 5 चिकित्सक उपलब्ध कराकर चिकित्सकों की हडताल के दौरान चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करावें।


आज्ञा से,



(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त।
- 6- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 8- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 9- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 10- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
- 11- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली

  
शासन उप सचिव